ब्याजमुक्त सहकारी समितियाँ

दूसरा फ़िक़्ही सेमिनार 8-11 जमादिउल अव्वल 1410 हिजरी, 8-11 दिसम्बर 1989 ई0 दिल्ली में आयोजित हुआ इसमें ब्याज़ मुक्त सहकारी समितियों के गठन और उनमें भाग लेने के विषय पर भी ग़ौर किया गया और निम्न प्रस्ताव पास हुआ।

1- भारतीय मुसलमानों की आर्थिक और वित्तीय हालत को बेहतर बनाने के लिए ऐसी सहकारी या सहायक समितियों की स्थापना ज़रूरी और मुफ़ीद है जो आम मुसलमानों से बिना ब्याज के क़र्ज़ हासिल करें और ज़रूरतमन्द मुसलमानों को बिना ब्याज के क़र्ज़ दें। ऐसी संस्थाएं वास्तव में कल्याणकारी संस्थाएं होती हैं जो जनहित में काम करती हैं और भलाई व सहयोग की भावना पर आधारित होती हैं।

2- क़र्ज़ लेने वालों से दी गयी रक़म से किसी भी रूप में अतिरिक्त रक़म हासिल करना सूद प्राप्त करना है, इस लिए किसी भी तरीक़े से अतिरिक्त रक़म वसूल करना जायज़ नहीं है। इन संस्थाओं में जमा रक़म को फ़िक्स डिपाज़िट के रूप में बैंक में रखना और उनपर सूद हासिल करना भी हराम है।

इन संस्थाओं के प्रबंधन पर आनेवाले ख़र्चों को जुटाने के लिए फ़िक़्ही सेमिनार निम्न तरीक़ों को जायज़ क़रार देता हेः

(अ) ऐसी संस्थाओं को दौलत रखने वाले लोग एक सामूहिक ज़रूरत समझ कर अल्लाह की रज़ा हासिल करने की नीयत से वित्तीय सहायता दें।

(ब) ये संस्थाएं पूंजी का कुछ हिस्सा व्यापार, कृषि या अन्य पैदावारी व्यवसाय में लगाकर जायज़ आमदनी हासिल करें, और इस आमदनी से अपने ख़र्चे पूरे करें।

3- सेमिनार में शरीक अधिकतर लोगों का मानना है कि सेवा शुल्क ;मतअपबम बिंतहमद्ध या प्रबंधन का ख़र्च ;व्चमतंजपवदंस म्गचमदेमेद्ध क़र्ज़ लेने वालों से नहीं लेना चाहिए। इन उलमाओं में से कुछ इसे पूरी तरह निषेध मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह जायज़ तो है लेकिन इसके चलन से सूद का रास्ता खुलने का ख़तरा है, इस लिए इसे शरई रूप से वर्जित क़रार दिया जाना चाहिए।

इनके विपरीत कुछ आलिमों की राय यह है कि इस तरह की सास्थाएं चलाना ज़रूरी हैं और ऐसी संस्थाएं चलाने के लिए अगर वित्तीय सहायता या पैदावारी माध्यमों में पूंजी लगाकर पैसा हासिल करना संभव न हो तो संस्था की वास्तविक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए व्यवस्था और प्रबंधन के ख़र्चे क़र्ज़ लेने वालों से वसूल किए जा सकते हैं। इन अतिरिक्त आमदनी का फ़ायदा न पूंजी लगाने वालों को पहुंचता है न ही संस्था के लिए यह अतिरिक्त आय का साधन है लेकिन यह राय देने वाले उलमा आवश्यक रूप से यह स्पष्ट करते हैं कि इस मामले में यह .ख्याल रखना ज़रूरी है कि क़र्ज़ देने में जो वास्तविक भावना शरीअत के सामने है उसके साथ यह ख़र्च वसूल करना मेल नहीं खाता, इस लिए यह केवल एक इजाज़त है जो मजबूरी की स्थिति के लिए

दी जा सकती है। इस लिए इन ख़र्चों के निर्धारण में कड़ी सावधानी बरतना ज़रूरी है।

अगर हिसाब किताब में यह तथ्य सामने आए कि जो रक़म इस मक़सद के लिए अतिरिक्त रूप में ली गयी है, प्रबंधन पर आने वाले ज़रूरी ख़र्च उसके कम हैं तो बाक़ी रक़म ठीक ठीक हिसाब के साथ क़र्ज़ का भुगतान करने वालों को वापस करना ज़रूरी है।

☆☆☆